निग० 5493/2018/रीवा/भू०रा०

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

खण्डपीठ रीवा (म0प्र0)

20रु. Rs.20 विलोपित बीस रुपये TWENTY RUPEES 20रु. Rs.20 विलोपित बीस रुपये TWENTY RUPEES

अधि० श्री संजय पाठक द्वारा पेश। 07-9-18

रमाकान्त तनय श्री दीनानाथ मिश्र, निवासी ग्राम कटरा, थाना गढ़, तहसील त्योंथर, जिला रीवा (म0प्र0)

————निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

मंगल प्रसाद तनय महाबीर गुप्ता, निवासी ग्राम कटरा, थाना गढ़, तहसील त्योंथर, जिला रीवा (म0प्र0), (मृतक) वारिस :– राजेश गुप्ता तनय जय प्रकाश गुप्ता, निवासी ग्राम कटरा, थाना गढ़, तहसील त्योंथर, जिला रीवा (म0प्र0)

————गैरनिगराकार/अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई0

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा (म0प्र0) प्रकरणं कमांक–222/निग0/04–05 आदेश दिनांक 12/07/2018 जिसके द्वारा निगराकार/आवेदक की निगरानी खारिज की गई है, निम्नलिखित आधार पर दायर की जाती है

मान्यवर,

निगरानी के आधार समझने के लिए संक्षिप्त तथ्य दिया जाना आवश्यक है जो निम्नलिखित दिये जाते है :–

1– यह कि आराजी खसरा क0–243/1 रकवा 0.79 ए0 स्थित ग्राम कटरा, तहसील त्योंथर, जिला रीवा (म0प्र0) आवेदक के स्वत्व,

(46)

(3)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग 5493 / 2018 / रीवा / भू–रा0 जिला–रीवा

रमाकांत / मंगल प्रसाद

(1)	(2)
18.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री सनत कुमार मिश्र अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 222 / निग0 / 2004–05 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 07.09.18 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य

सुचित

मुद्रक–सोनवर्षा ऑफसेट प्रिंटर्स बांसघा... वा

... प्रति लिपिकार
म0प्र0 राजस्व मण्डल
(सर्किट कोर्ट) रीवा